न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 28 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. लूणसिंह पुत्र सांवलसिंह 2. मगसिंह पुत्र सांवलसिंह जाति राजपूत निवासी सोढों की बस्ती गंगाला तहसील रामसर जिला बाड़मेर		1. स्वरूपसिंह पुत्र आसूसिंह 2. पृथ्वीसिंह पुत्र आसूसिंह 3. भभूतसिंह पुत्र आसूसिंह 4. श्रवणसिंह पुत्र आसूसिंह 5. बलकंवर पत्नी आसूसिंह 6. हिंगोलसिंह 7. नखतसिंह 8. गोमसिंह पिसरान महेन्द्रसिंह 9. उगमसिंह पुत्र जेतमालसिंह 10. गिरधरसिंह पुत्र जेतमालसिंह 11. मुतवफी कमलकंवर पत्नी जेतमालसिंह सभी जाती राजपूत निवासी सोढों की बस्ती, गंगाला तहसील रामसर जिला बाड़मेर 12. तहसीलदार तहसील रामसर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12 / 2022 बउनवान स्वरूपसिंह वगैरह बनाम लूणसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.03.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—27.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 317 / 217 के मुख्य सड़क सोढों की बस्ती से गंगाला जाने वाली ग्रेवल सड़क के मध्य अपीलांटगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 319 / 217 व 333 / 217 आये हुए हैं। प्रार्थीगण संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा दर्शित पगडण्डी का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपयोग पिछले 10–12 वर्षों से करते आ रहे है, लेकिन अभी जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने से विप्रार्थीगण ने उक्त पगडण्डी को बंद कर दिया है जिससे हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। मौका फर्द तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर अधीनस्थ भू अभिलेख निरीक्षक खड़ीन व हल्का पटवारी गंगाला ने प्रत्यर्थीगण के अनुचित प्रलोभन से उनके कहे अनुसार मौका फर्द अपीलांटगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार रामसर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए नया रास्ता खसरा संख्या 333/217 व 319/217 में लेना चाहते है, प्रस्तावित रास्ते से आज तक कोई आवागमन नहीं होना पाया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलार्थीगण गरीब काश्तकार है। आजीविका का साधन कृषि व पशुपालन है। अपीलार्थीगण की उक्त खसरान की भूमि को खुर्द बुर्द करने तथा निम्न रकबे को विभाजित कर आजीविका से वंचित कर रहे है जिससे अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा जबाव पेश किया गया। अपीलांटगण के जबाव को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई विश्लेषण नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से सुगम निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अपीलांट द्वारा रास्ते का विकल्प बताया गया है उस रास्ते की आगे निरंतरता नहीं है। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया हैं जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत हैं। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2022 बउनवान स्वरूपसिंह वगैरह बनाम लूणसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.03.2024 को यथावत रखा जाता है।

27/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर